

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

डा० मोहम्मद तकी इमाम,
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (वाह्य सेवा),
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय: दिनांक 24.05.2025 से 12.06.2025 तक हज यात्रा हेतु विदेश (सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के पत्रांक 771 दिनांक 03.04.2025 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ डा० मोहम्मद तकी इमाम को दिनांक 24.05.2025 से 12.06.2025 तक हज यात्रा हेतु विदेश (सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे ।
- 7) डा० मोहम्मद तकी इमाम मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को हज यात्रा हेतु विदेश (सउदी अरब) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- 8) एतदसंबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामांजित होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापक :

265(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 5/5/25

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

W. M. K. S. K. S.
सरकार के अवर सचिव